न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-83/2017

1- गिरधारीलाल
2- जीवणाराम

पुत्र सुल्तानाराम जाति मीणा निवासी सुजावास उप तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्टस्---

--बनाम--

1- सुधादेवी पुत्री गज्जुसिंह लाम्बा जाति जाट निवासी मौहल्ला शेखपुरा तहसील व जिला सीकर (राज0)

2- संगीता देवी पुत्री बृजमोहन सुण्डा जाति जाट निवासी राजस्व कल्याण विभाग के पास नवलगढ रोड सीकर तहसील एवं जिला सीकर ।

3- मु0 घीसी बेवा स्व0 कानाराम
4- हरीराम पुत्र स्व0 कानाराम
5- रामदयाल पुत्र स्व0 कानाराम
6- सुखदेवा पुत्र स्व0 कानाराम
7- रामूराम पुत्र स्व0 कानाराम

जाति जाट निवासी गोरिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

8- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

9- नायब तहसीलदार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

10-उप पंजीयक पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 5-10-2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री रामप्रकाश गुप्ता एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री सावंरमल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 19.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अदालत मातहत में वादीगण/अपीलान्टस् ने एक दावा बरबक्त खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा दुरूस्ती इन्द्राज एवं निरस्त किये जाने विक्रय पत्र एवं नामान्तरकण संख्या-71 के बाबत पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 1/414 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा ग्राम सुजावास में स्थित है । नवीन भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान खसरा नं0-1/414 के मीन खसरा नं0 9 रकबा 0.40 हैक्टर, ख0नं0 12 रकबा 0.66 हैक्टर व ख0नं0 13 रकबा 1.34 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 2.40 हैक्टर कायम किये गये । उक्त आराजी में 6 बीघा 6 बिस्वा कदीम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ उससे पूर्व से ही वादीगण के स्वर्गीय पिता सुल्तान पुत्र कालू काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है ।जो जमाबन्दी सं0- 2018 से 2021 में वादीगण के पिता का नाम गैर खातेदारी मे दर्ज है ।इस आराजी में वादीगण ने एक रिहायशी मकान भी बना रखा है ।उक्त आराजी ख0नं0 1/414 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि अलाटमेन्ट आदेश दिनांक 21-11-66 के आधार पर नून्दा पुत्र डूंगा जाट निवासी गोरिया के नाम दर्ज हो गई ।वादीगण की आराजी रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा को प्रतिवादी सं0-3 से 7 के पिता/पति स्व0 कानाराम ने छल पूर्वक तहसीलदार दांतारामगढ से साजिश कर वादीगण के खातेदारी की भूमि को चुपचाप अपने नाम अलाटमेन्ट करवा ली । जिसके विरूद्ध वादीगण के पिता ने विद्वान अति0 जिला कलेक्टर के यहां अपील सं0 35/2067 पेश की जिसमें दिनांक 29-6-67 को राजीनामा होकर अलाटमेन्ट खारिज किया गया । निर्णय की प्रति तहसीलदार को दी गई किन्तु तहसीलदार ने राजस्व रेकार्ड में कोई अंकन नहीं किया और विवादित आराजी स्व0 कानाराम के नाम से ही चलती रही । तथा कानाराम के फौत होने पर उक्त आराजी प्रति--वादी सं0-3 से 7 के नाम दर्ज हो गई । जिन्होंने इस आराजी को दिनांक 24-8-2000 को फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0-1 व 2 के पक्ष में विक्र--य कर दी । जिनको विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था । जिस पर यह दावा किया । जिस में प्रतिवादी संख्या-1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी को प्रतिवादी सं0-3 से 7

उक्त आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 24-8-2000 को प्रतिवादी सं0-1 व 2 को करवाकर कब्जा सम्भला दिया ।इस प्रकार प्रतिवादी सं0-1 व 2 इस आराजी का सद्भावी क्रेता है ।वादीगण ने दावा में विक्रय पत्र को निरस्त कराने का दावा पेश किया। राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं तथा अति0 जिला कलेक्टर सीकर के द्वारा दिनांक 29-6-1967 को अलाटमेन्ट खारिज किया गया था का कथन झूठा है । यदि इसे सत्य भी मान लिया जावे तो उक्त आदेश की पालना 12 वर्ष के भीतर होनी चाहिये जो नहीं हुई ।अत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां वादीगण/अपीलान्ट ने अपील पेश की जो दिनांक 23-8-2011 को खारिज कर दी गई । जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश की जो दिनांक 18-5-2015 को खारिज कर दी गई । इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राज0 में सिविल रिट पिटेशन सं0-12542/2015 पेश की जिसको स्वीकार कर प्रकरण उप खण्ड अधिकारी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वह प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सीपीसी पर नये सिरे से आदेश प्रस्तुत करें । अदालत मातहत ने आदेश-7 नियम-11 सीपीसी पर सुनवाई करते हुये प्रतिवादी सं0-1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर वादीगण/अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर पेश की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने प्रतिवादी के अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर उनके पक्ष में निर्णय करने का मानस बना रखा था । प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 सीपीसी के निस्तारण हेतु तीन बिन्दू अर्थात्(1) विक्रय पत्र निरस्त करने के वाद की सुनने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को है अथवा नहीं (2) समय सीमा एवं(3) वाद वादाधार(लोकस स्टेण्डाई) गठित किये गये । जबकि प्रथम बिन्दू यह बठित करना चाहिये था कि " क्या खातेदारी उद्घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार है अथवा नहीं । किन्तु अदालत मातहत अदालत मातहत ने प्रतिवादीगण

मातहत ने विधिक परिधि के विपरित जाकर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व मण्डल की नजीर आरआरडी 2003 पेज 228 को एक मात्र आधार बनाया है । जबकि वादीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की प्रस्तुत नजीरों की विवेचना करना तो दूर बल्कि उनका उल्लेख तक नहीं किया जो कृत्य व आचारण इस बात का द्योतक कि प्रतिवादी को अनुचित प्रभाव में आकर निर्णय पारित किया है ।अपीलान्ट का मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा का था। विक्रय पत्र को निरस्त करने का अनुतोष गौण है जो वाद राजस्व न्यायालय में विचारण योग्य था । जिसके सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्लू 2015(1) राज0 पेज 446 पेश है किन्तु योग्य अदालत मातहत ने इस पर कोई गौर न कर अनदेखी कर आदेश पारित किया है ।खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वादीगण के पक्ष में की जाती है तो विक्रय पत्र स्वत: ही निरस्त मान्य हो जाता है । उसको अलग से निरस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में नाम गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है जिससे उन्हे किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिलते हैं ।तथा वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादीगण के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर भी कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।खातेदारी उद्घोषणा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुती के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में के भाग-। में कोई समय-सीमा की पाबन्दी नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण ने दुर्भि-संधि कर अनुचित व अवैध कार्यवाही कर दिनांक 24-8-2000 को वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि का अवैध विक्रय पत्र तैयार करवाकर वादी के कब्जे काश्त में दखल करने को आमादा होने पर वाद कारण उत्पन्न होते ही राजस्व वाद दिनांक 16-4-2001 को प्रस्तुत कर दिया गया । इसके बाद भी अदालत मातहत ने विधि के विपरित वाद को मियाद के बाहर मानकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अदालत मातहत ने वादी को दावा दायरी का लोकस स्टेण्डाई नहीं मानकर दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है । आदेश-7 नियम-11 सीपीसी में लोकस स्टेण्डाई कोई

आधार नहीं है। अति0 जिला कलेक्टर सीकर के यहां दिनांक 29-6-1967 को हुये राजीनामा में कानाराम जाट ने कब्जा काश्त सुलतान मीणा का मान रखा है । साथ ही कानाराम के आवंटन को अपीलान्ट के पिता सुलतान ने चुनौति दी है जिसमें कानाराम को किया गया आवंटन आदेश अति0 जिला कलेक्टर द्वारा निरस्त किया गया है ।केवल तहसीलदार ने कानाराम का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित नहीं करने का फायदा उठा कर झुठा एवं बनावटी विक्रय पत्र दिनांक 24-8-2000 को रेस्पोडेन्ट संख्या-। व 2 को किया गया है जो किसी भी स्थिति में सही ठहराने का घोर अवैधानिक कृत्य किया है । अदालत मातहत ने वर्ष 1967 से लेकर वर्ष 2000 तक वादीगण द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने की कानूनी चाराजोही नहीं करने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद अवधि पार बताकर खारिज करने में कानूनी भूल की है । क्योंकि अपीलान्ट के कब्जा काश्त में किसी ने भी कोई दखल अन्दाजी नहीं की जब कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी की तो तुरन्त दावा पेश किया है। खातेदारी घोषणा के दावे में कोई समय सीमा नहीं है ।यह दावा कभी भी लाया जा सकता है। किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है। प्रतिवादी राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिनके दबाव में कोर्ट निर्णय विधि के विपरित उनके पक्ष में कर रहे हैं । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट अनुसूचित जन जाति का सदस्य है तथा रेस्पोडेन्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य है ।अपीलान्ट भोला भाला व्यक्ति है जबकि रेस्पोडेन्ट राजनैतिक पहुंच रखने वाला व्यक्ति है

जिसके दबाव में अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है मेरा दावा खातेदारी घोषणा का दावा है। जिसके लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय सूची में कोई समय सीमा नहीं है अर्थात खातेदारी घोषणा का दावा कभी भी लाया जा सकता है । विवादित आराजी पर मेरा कब्जा रहा है ।इन्होने मुझे बेदखल करने की धमकी दी तभी तो मुझे काज ऑफ एक्शन हुआ जैसे ही काज आफ एक्शन हुआ मैने यह दावा पेश कर दिया। किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है । जबकि अदालत मातहत ने अपने निर्णय में दर्ज कर दिया कि वादी वर्ष 1967 से लेकर वर्ष 2000 तक अपने खातेदारी अधिकारों की कानूनी रूप से पाराजोही नहीं करने के कारण अपीलान्ट के दावे को अवधि बाधित मानकर खारिज करने में कानूनी भूल की है । जबकि मेरा दावा अवधि बाधित नहीं है ।दूसरा बिन्दू दर्ज कर दिया विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । इस पर मेरा कथन था कि मेरा दावा खातेदारी घोषणा का है। मेरी खातेदारी की घोषणा हो जाती है तो विक्रय पत्र को निरस्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । इस बिन्दू पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । जबकि मैने अपने दावे में स्पष्ट किया है कि आंवटन आदेश के विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सीकर के यहां अपील करने पर अपीलान्ट की अपील में काना राम ने राजीनामा कर विवादित आराजी पर मेरा कब्जा मानते हुये आंवटन आदेश को निरस्त कराने का निवेदन किया जिस पर अति0 जिला कलेक्टर ने दिनांक 29-6-1967 को आंवटन आदेश निरस्त कर तहसीलदार को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय की प्रति भिजवा दी। यह गलती तहसीलदार की रही कि उसने निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड से रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 7के पिता कानाराम का नाम नहीं हटाया और यह राजस्व रेकार्ड कानाराम के नाम से ही चलता रहा कानाराम के देहान्त के बाद यह आराजी उसके वारिसों के नाम दर्ज हो गई। जिससे इनके मन में बेईमानी आ गई । और इन्होने विधि विरूद्ध बिना कब्जा के ही एक फर्जी एवं बनावटी विक्रय पत्र दिनांक 24-8-2000 को रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के

काश्त में दखल अन्दाजी करने लगे जिस पर यह दावा पेश कर दिया। किन्तु अदालत मातहत ने इन बिन्दूओं पर गौर न कर केवल अपने निर्णय में दर्ज कर दिया कि वर्ष 1967 से 2000 तक अपने खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने की कोई कानूनी चाराजोही नहीं की गई ।अदालत मातहत का यह निर्णय कानून के विपरित है । तथा अदालत मातहत ने अपीलान्ट का वादाधार(लोकस स्टेण्डाई(नहीं मानक -कर कानूनी भूल की है ।न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर ने दिनांक 29-6-67 को मेरा कब्जा कानाराम द्वारा स्वीकार करने पर अपील स्वीकार कर अप रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 7 के पिता कानाराम को किया गया आवंटन आदेश निरस्त कर रेकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये है ।अर्थात विवादित आराजी पर मेरा कब्जा 1967 से पूर्व से है। केवल तहसीलदार ने अदालत अति0जिला कलेक्टर के आदेश का राजस्व रेकार्ड मे अंकन नहीं करने मात्र से मेरा वादाधार नहीं मान कर अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित दिया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वह प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर पारित करें ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित बताते हुये कथन किया कि अपीलान्ट का दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ विक्रय पत्र दिनांक 24-8-2000 को निरस्त कराने का अनुतोष भी है । अपीलान्ट को विक्रय पत्र निरस्त करवाने के लिये सिविल न्यायालय में जाना चाहिये। विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट दर्ज किया है कि इस न्यायालय को विक्रय पत्र निरस्त करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है । अपीलान्ट का कथन रहा कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर ने मुताबिक राजीनामा मेरी अपील स्वीकार कर आंवटन आदेश को निरस्त कर दिया ।अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर का यह आदेश 29-6-1967 का है जिसको दावा दायरी के समय तक 34-35 वर्ष हो गये । जबकि न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सीकर के आदेश

की पालना के लिये समय सीमा-12 वर्ष है । अर्थात अपीलान्ट का इस आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही इसने इस बाबत कोई चाराजोही समय सीमा में नही की है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट का दावा अवधि बाधित मानकर निर्णय दिया है वह उचित एवं विधिक है ।विक्रय पत्र का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 के नाम दर्ज किया गया तब मौके की जांच कर तस्दीक किया गया है रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 7 के पिता कानाराम को विवादित आराजी का कब्जा नियमानुसार वर्ष 1966 में सम्भलाया गया है तथा नामान्तरकरण सं0-85 तस्दीक किया गया है ।अपीलान्ट ने यह कहीं साबित नहीं किया कि कानाराम का कब्जा हटाया गया हो। अर्थात विवादित आराजी पर कानाराम का कब्जा लगातार रहा है जो रेकार्ड से साबित है । अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है ।अपीलान्ट की अपील माननीय न्यायालय हाजा एवं मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी खारिज की जा चुकी है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0- 2054 से 2057 में विवादित आराजी ख0नं0 13 रकबा 1.34 हैक्टर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 7 के नाम दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या-71 दिनांक 4-9-2000 से यह आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 सुधादेवी एवं रेस्पोडेन्ट सं0-2 संगीता के नाम दर्ज की गई है । जमाबन्दी सं0-2018 से 2021में ख0नं0 1/414 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में डूंगा पुत्र कुशाला जाट 3 बीघा 10 बिस्वा, सुल्तान पुत्र कालू मीना 3 बीघा के गैर खातेदार दर्ज है। शेष आराजी 6 बीघा 1 बिस्वा मकबूजा सरकार के नाम दर्ज है ।नकल जमाबन्दी सं0-2026 से 2029 मे ख0नं0 1/414 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा पर गैर खातेदार कानाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट दर्ज है । अति0जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 29-6-67 में इस प्रकार के राजीनामा को वैध नहीं माना है । तथा यह दर्ज किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कहना कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है

"अलाटमेन्ट खारिज किये जाने से अपीलान्ट को किसी किस्म के अधिकार प्राप्त नहीं होगें ।नामान्तरकरण संख्या-85 दिनांक 31-12-1966 में कानाराम पुत्र मंगलाराम के नाम अलाटमेन्ट के आदेश के आधार पर 6 बीघा 6 बिस्वा दर्ज की गई है । मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया । राजस्व रेकार्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि अलाटमेन्ट के आधार पर कानाराम विवादित आराजी का ख गैर खातेदार दर्ज हुआ तथा लगातार कब्जा होने से खातेदारी दर्ज की गई ।विद्वान अति0 जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 29-6-67 में अपील स्वीकार की गई किन्तु अपीलान्ट को इससे किसी प्रकार का हक खड़ा नहीं होगा । इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि अति0 जिला कलेक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 29-6-67 से उसे कोई हक प्राप्त हुये हों । राजीनामा को भी वैधं नहीं माना ।अर्थात दि0 29-6-1967 से भी अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं मिले है ।इस कारण अपीलांट को वादाधार(लोकस स्टेण्डाई) किसी भी स्थिति में नहीं है ।साथ ही सन् 1967 में अति0 जिला कलेक्टर सीकर ने अपने निर्णय में स्पष्ट दर्ज किया है कि इससे अपीलान्ट को किसी किस्म का हक प्राप्त नहीं होगा । अर्थात अपीलान्ट को इस आदेश से कोई हक प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे इस आदेश के विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी क्योंकि इस निर्णय में राजीनामा को भी वैध नही माना अर्थात राजीनामा में अपीलान्ट का कब्जा मानने से अपीलान्ट को कोई हक प्राप्त नहीं है इस प्रकार अपीलान्ट ने दिनांक 29-6-67 से 17-4-2001 तक कोई कार्यवाही नहीं की दावा दिनांक 14-4-2001 को पेश किया है जो हर प्रकार से समय सीमा से बाधित है ।विक्रय पत्र दिनांक 24-8-2000 को किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं0-7। मौके की जांच कर दर्ज किया गया। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से भी यह भली प्रकार साबित है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है । विक्रय पत्र के आधार पर नामा0सं0-7। मौके की जांच कर तस्दीक किया गया है ।इस प्रकार अदालत मातहत ने अपने निर्णय में प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11 स्वीकार कर दावा खारिज किया है । उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है ।जिससे हम अदालत मातहत के आदेश में किसी प्रकार

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय दिनांक 5-10-2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 19.1.2018 को सुनाया गया ।

19/1/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर